न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2023 G.C.M.S. No. 2023/11 दर्ज दिनांक : 12.01.2023

अपीलार्थिगण:

1. एस. अमरचंद उर्फ उत्तमचंद पुत्र शिवराजन, जाति जैन, निवासी सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली हाल 47/32, nammalwar street, sowcarpet, Chennai, G.P. Tamilnadu 600001
2. ए. घीसुलाल पुत्र अन्नाराम, जाति सिरवी, निवासी रामपुरा कलां, तहसील रायपुर जिला पाली हाल No. 6B, Kannan nagar, 2nd nain road, madipakkam, Kancheepuram, Tamilnadu 600091

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. श्री किशन पुत्र हरिराम, उम्र बालिग, जाति गुर्डा, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. लक्ष्मणराम पुत्र हजारीराम, जाति मेघवाल, निवासी समोखी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
3. महावीरसिंह पुत्र सालमसिंह, जाति राजपूत, निवासी करमावास मालियान, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
4. ओमसिंह पुत्र सालमसिंह, जाति राजपूत, निवासी करमावास मालियान, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
5. चंपालाल पुत्र लाबुराम, जाति कुमावत, निवासी निम्बेड़ा कला, तहसील जैतारण, जिला पाली।
6. माडीदेवी पत्नि हीराराम, जाति सिरवी, निवासी झूठा, तहसील रायपुर, जिला पाली।
7. भंवराई पत्नि जसाराम, निवासी राजादण्ड, जैतारण तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
8. मृत चुनकी पत्नि सुखा जाति जाट के विधिक वारिसान:–
   8/1 मृत केसाराम पुत्र सुखाराम के विधिक वारिसान:–
   8/1/1 जीताराम पुत्र केसाराम
   8/1/2 कानाराम पुत्र केसाराम
   8/1/3 भीकाराम पुत्र केसाराम, जातिगण जाट, निवासीगण पीपलिया तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
9. मृत अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल खैरादी, जाति खैरादी, निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर के का.मु.–
   9/1 जमीला पत्नि अब्दुल सतार
   9/2 मोइनुदीन पुत्र अब्दुल सतार
   9/3 मुजीबूर रहमान पुत्र अब्दुल सतार, जातिगण खैरादी, निवासीगण मस्जिद के पास, राणावास, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
   9/4 जुबैदा पुत्री अब्दुल सतार पत्नि करीम हुसैन, जाति खैरादी, निवासी प्रताप नगर, जोधपुर।
   9/5 शमीम पुत्री अब्दुल सतार, पत्नि हुसैन साहू, जाति खैरादी, निवासी प्रताप नगर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

10. दाउद हुसैन पुत्र इब्राहिम खैरादी, जाति खैरादी, निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
11. हितेन्द्र कुमार पुत्र परमानंद, जाति वैष्णव, निवासी गुडीया, तहसीलजैतारण,जिला ब्यावर।
12. गोरधन राईका पुत्र कानाराम राईका, जाति राईका, निवासी गुडीया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
13. मेनादेवी पत्नि धर्मीचंद, जाति सिरवी
14. कुनाई पत्नि कानाराम, जाति माली
15. नेमीचंद पुत्र पुनाराम, जाति कुमावत
16. रमेश पुत्र पुनाराम, जाति कुमावत
17. सीतादेवी पत्नि बगदाराम, जाति कुमावत
18. बींजाराम पुत्र कानाराम, जाति कुमार
19. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम, जाति कुमार, निवासीगण पिपलिया कला, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
20. गुरू शिखर सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड कार्यालय सोजत सिटी जरिये निदेशक सत्यदेव पुत्र गंगाविशन जोशी सा. सोजत सिटी दामोदरलाल पुत्र बंशीलाल शर्मा, जवाहर नगर, पाली।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2017 बअनवान किशन बनाम लक्ष्मणराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 21.12.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रति अपील द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 12, 15, 16 व 17

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री भागीरथ तेली, श्री कैलाश मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 28.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2017 बअनवान किशन बनाम लक्ष्मणराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 21.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 53–ए व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत गांव पिपलिया कला के खसरा नम्बर 215 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा बाबत् इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त भूमि समस्त पक्षकारान की सहखातेदारी की हैं और वादी का 3/16 हिस्सा बनता है, जिसका रेकर्डेड खातेदार है, जो वादी की खरीद सुदा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

माध्यम से तामिल की खाना–पूर्ति कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स व अन्य प्रतिवादीगण के हक, हकूक, हितों पर भारी कुठाराघात किया है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण ऐसे निर्णय से अपीलाण्ट्स के हक, हकूक, अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, न ही ऐसे निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जा सकता है। प्रकरण में उपरोक्त खसरा नं. 215 की भूमि के सम्बन्ध में विभाजन हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद संख्या 108/2011 दिनांक 29.08.2011 को प्रस्तुत किया था, जो दर्ज किया जाकर वर्तमान में भी लम्बित है। प्रमाण में आदेशिका मय वादपत्र की प्रति साथ पेश है। ऐसी स्थिति में पूर्व से उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में विभाजन का वाद लम्बित होने के बावजूद भी उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने दिनांक 18.10.2017 को समान भूमि और समान पक्षकारों के सम्बन्ध में पुनः विभाजन का वाद पेश कर अपीलाण्ट्स को विधिवत तामिल करवाये बिना ही अवैध रूप से प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित करवा दी। जो धारा 10 सीपीसी अनुसार पोषणीय नहीं था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 215 के सम्बन्ध में उपर के पद में वर्णित अपीलाण्ट द्वारा किये गये वाद के बाद एक ओर वाद संख्या 115/2011 लक्ष्मणराम पुत्र हजारीराम द्वारा अपीलाण्ट्स व शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध विभाजन का वाद पेश किया, जिस वाद में भी अपीलाण्ट्स की विधिवत तामिल करवाये बिना ही वाद को निर्णित कर दिया और उपरोक्त वाद में दिनांक 15.12.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई, तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी, इस प्रकार उक्त अपील में वर्णित भूमि के संदर्भ में पूर्व में ही विभाजन की प्राथमिक व अंतिम डिक्री अपीलाधीन निर्णय से पूर्व ही पारित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में पुनः विभाजन का न तो वाद पोषणीय है, न ही इस बाबत पारित अपीलाधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री बहाल रखे जाने योग्य है। उक्त पद में वर्णित वाद में पारित निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट्स को पूर्व में जानकारी नहीं थीं, हाल ही में उक्त अपील प्रस्तुत करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर उपरोक्त वाद संख्या 115/2011 और उसमें पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री की जानकारी हुई है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों पदो में वर्णित वाद एवं पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को छिपाते हुए पश्चात्वर्ती वाद पेश कर पारित किये गये प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हाल ही में अपीलाण्ट्स के विशिष्ठ हिस्से की खरीद सुदा भूमि, जिसके चारों तरफ तारबंदी की हुई थी, में वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने तोड़फोड़ कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलाण्ट गांव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आया और मौके पर जाकर मौका स्थिति देखकर वादी को औलबा दिया, जिस पर उसने अपने पक्ष में विभाजन की डिकी होना बताया, तब अपीलाण्ट ने अन्य और कानूनी कार्यवाही की और साथ ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में पटवारी एवं अन्य से जानकारी प्राप्त कर नकलों हेतु दिनांक 14.12.2022 को आवेदन पेश किया, जहां से नकले दिनांक 16.12.2022 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार दिनांक 14.12.2022 से पूर्व अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। इसलिए सर्वप्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश है। अपीलाण्ट्स ईमानदारीपूर्वक मुकदमा लड़ना चाहते है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा हेतु वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2021 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया है, तथा दिनांक 21.12.2021 को संशोधित आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.01.2023 को प्रस्तुत की गई। जोकि विलंब के साथ प्रस्तुत हुई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट्स व्यवसायिक कार्य से चैन्नई निवास करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मन तामील करवाए बिना तथा सही पते पर सम्मन प्रेषित किये बिना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन से तामील करवाकर अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं रही। वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स की क्रयशुदा भूमि पर तोड़–फोड़ करने पर अपीलांट्स गांव आए तथा मौके देखने पर वादी द्वारा अपीलांट्स को अपने पक्ष में विभाजन की डिक्री होना बताने से जानकारी हुई। दिनांक 14.12.2022 को नकल हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 16.12.2022 को नकल आवेदन प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हाजा के निर्णय दिनांक 28.07.2025 द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय अपास्त किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री पर आधारित व उसके अनुक्रम में होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री काबिल निरस्त हो जाती हैं।

5. प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं विभाजन प्रस्ताव जिसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई हैं, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार नहीं कर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा करवाया जाकर तहसीलदार रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। जिसकी तहसीलदार रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 16.01.2020 से पुष्टि होती हैं। जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरणों में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा मौके पर तैयार किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण में इसका अनुपालन नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई गौर नहीं किया गया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर केवल वादी के हस्ताक्षर है तथा शेष सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु नोटिस आदि जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट सहित दीगर सहखातेदारान को कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि ऐसा किया जाना तहसीलदार के लिए आज्ञापक है।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2021 को अंतिम डिक्री किया गया तथा दिनांक 21.12.2021 को किसी भी पक्षकारान द्वारा प्रार्थना नहीं किये जाने के बावजूद तहसीलदार द्वारा संशोधित नजरी नक्शा पेश किये जाने के अंकन के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब कर पक्षकारान एवं अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में संशोधित आदेश पारित करते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार संशोधित निर्णय पारित कर दिया गया। जो हमारे विनम्र मत में विधि की दृष्टि में शून्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पिपलीया कलां के खसरा संख्या 215 की आराजी के संबंध में विभाजन बाबत अन्य वादपत्र संख्या 115/2011 बअनवान लक्ष्मण बनाम पुरखा वगैरह अधीनस्थ न्यायालय में ही दिनांक 30.09.2011 से ही विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 15.12.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 14.06.2017 को अंतिम डिक्री पारित की गई। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में ही वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ही अन्य वादपत्र संख्या 108/2011 बअनवान एस. अमरचंद वगैरह बनाम पुरखा वगैरह दिनांक 19.08.2011

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। जबकि उक्त वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संबंधित वादपत्र संख्या 106/2017 से पूर्ववर्ती था। वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पश्चातवर्ती वादपत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। जबकि एकसमान अनुतोष, एकसमान पक्षकार व एकसमान आराजीयात की दशा में समस्त विचाराधीन वादपत्र पूर्ववर्ती वादपत्र के साथ संयोजित किए जाकर एकसाथ विचारण व निर्णयन किया जाना चाहिए, ताकि परस्पर विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। किंतु हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया है।

9. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट व प्रति अपील बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाना तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रति अपील बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2017 बअनवान किशन बनाम लक्ष्मणराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 21.12.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों तथा राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल 1956 के संगत आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.08.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner